मांगया वर्मा बनाम हीरालाल वर्मा
मुक० 76/25

10/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० है। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल ~~नहीं है~~ उप० नहीं है। आज न्यायालय में प्रतिवादीगण की उप० के लिए तीन-2 बार आवाजे लगवाई गई फिर भी कोई उप० नहीं हुआ अतः प्रतिवादी [illegible] लगायत 8 व 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी द्वारा मुताबिक वाद पत्र व मौके के नक्शे नजरी के आधार पर वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावेगा। शा० पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 8/10/25 को पेश हो।

8/10/25 पत्रावली पेश हुई। कोई अवरोध नहीं। आज दिनांक को पक्ष/पक्ष अधि. उप नहीं है। पक्ष की उप. के लिए आज न्यायालय में तीन-2 बार आवाजें लगवाई फिर भी कोई उप. नहीं हुआ। अतः पत्रावली O-9, R-3 के तहत अदम पैरवी, अदम हाजिरी में खारिज करी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो दर्ज रजिस्टर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल